FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

भोलू वगै0 बनाम् पतासी वगै0

किस्म मुकदमा:– दावा मुकदमा नम्बर:– 83 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
17.04.2018	वादीगण वकील श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.04.2018 को पेश हो। Gm-	
8-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 [illegible] संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर, के [illegible] प.12 (15) राज–1/2016 दिनांक [illegible] की पालना एवं [illegible] जिला कलक्टर [illegible] प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व [illegible] 19-7-18 से तलब [illegible] आज पेश हुई। उक्त दिशा [illegible] में पत्रावली लोक [illegible] में सुनवाई हेतु रखी जानी है [illegible] लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible] अटल सेवा केन्द्र सिहोड़ी दिनांक 22-5-18 को पत्रावली पेश हो। [illegible] स्थल पर उपस्थित [illegible] हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को [illegible] Gm-	
22.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सिहोड़ी में पेश हुई। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण की पहचान श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी गण न. 1 व 2 की पहचान उप सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण बरूये राजीनामा किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण नम्बर 1, 2 व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 ने आपस में राजीनामा हो जाने से दौराने शिविर ही राजीनामा पेश किया एंव प्रकरण का लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया।	

सहायक कलेक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
	भोलूराम वगै0 बनाम् पतासी देवी वगै0 दावा बाबत ईस्तकरार हक मुकदमा नं0 83/2018 प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 659, 660, 664, 665, 672, 673, 714, 715 कुल किता –8 कुल रकबा 5.8900 हैक्टर के 1/8 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एंव 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है बाकि खातेदारी 3/8 हिस्सा वादी संख्या 1 एंव हिस्सा 3/8 वादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 आपस में एक ही परिवार से है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार गणेशस, बद्री, भोलू, छोटू पुत्रगण धीरा आपस में तीनों सगे भाई होकर शामिल में ही रहते थे तथा गणेश नाऔलाद फौत हो चूका है तथा बद्री के कोई पुत्र संतान नहीं हुई। केवल पुत्रीयॉ संतान प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 ही है। वादीगण भोलू व छोटू ने ही खर्चा लगाकर प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 की शादी की व गणेश, बद्री की उनके जीवनकाल में सेवा सुश्रुषा की तथा बद्री का भी काफी समय पूर्व ही स्वर्गवास हो चूका है तथा कषि भूमि पर प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 बद्री के हक हिस्सा की भूमि पर वादीगण ही बहिस्सा बराबर–बराबर स्व0 बद्री के जीवनकाल से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 के भात पेज भरते आ रहे है तथा प्रतिवादिया सख्या 1 व 2 शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है। प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 ने भूमि को कभी काश्त नहीं की। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सा की भूमियों पर उनके पिता बद्री की मृत्यु के	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

भोलूराम वगै0 बनाम् पतासी देवी वगै0
दावा बाबत ईस्तकरार हक
मुकदमा नं0 83/2018

बाद लगातार बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण को प्रतिकूल कब्जा के अधिकार प्राप्त हो चूके है। उक्त भूमि की खातेदारी विरासत के आधार पर बद्री के स्थान पर प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हक हिस्सा की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु मन में बदनियति आ जाने से अर्सा 10 रोज पूर्व इन्कार हो जाने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वादपत्र को पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के आधार पर बरूये राजीनामा आज आयोजित लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 22.05.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार से है तथा वादग्रस्त भूमि पक्षकारान् के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा भी हो चूका है। प्रकरण में उक्त भूमि के पैत्रृक होने से सम्बन्धित पुराना रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे यह

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

भोलूराम वगै0 बनाम् पतासी देवी वगै0
दावा बाबत ईस्तकरार हक
मुकदमा नं0 83/2018

स्पष्ट होता हो कि उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी के पिता बद्री व दादा धीरा के नाम दर्ज रिकार्ड रही हों परन्तु फिर भी लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए एंव सजरा खानदान अनुसार प्रतिवादिया के वादीगण के सगे भाई बद्री की संतान होना प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में बहिनों द्वारा अपने परिवार में सगे खून के रिश्तों में किये जाने वाले हकत्याग की श्रेणी में प्रस्तुत प्रकरण को मानते हुए प्रकरण में अधिकतम 5000/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी लिया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र अटल सेवा केन्द्र–सिहोड़ी पर आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर इस शर्त पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि यदि वादीगण 5000/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करा देवे तो राजीनामा दिनांक 22.05.2018 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा दिनांक 22.05.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

भोलूराम वगै० बनाम् पतासी देवी वगै०
दावा बाबत ईस्तकरार हक
मुकदमा नं० 83/2018

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–सिहोड़ी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–सिहोड़ी

Scanned by CamScanner